

08-11-17

वकील प्रार्थी द्वारा TDR से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः TDR रिपोर्ट में दिनांक 05-12-17 को पेश हो।

05-12-17

वकील प्रार्थी द्वारा TDR से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः TDR रिपोर्ट में दिनांक 02-1-18 को पेश हो।

02-1-18

राज वार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। परभावली पूर्वानुसार दिनांक 30-1-18 को पेश हो।

30-1-18

वकील प्रार्थी द्वारा T.D.R से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। T.D.R ले रिपोर्ट भगवानदेवजी पत्रावली दिनांक 20/3/18 को पेश हो।

20-3-18

वकील प्रार्थी द्वारा TDR से रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। TDR से रिपोर्ट भगवानदेवजी पत्रावली दिनांक 08-5-18 को पेश हो।

8-6-18

वकील प्रार्थी उपरोक्त T.D.R रिपोर्ट अपेक्षित परभावली वारन्टे अतः रिपोर्ट दिनांक 28-6-18 को पेश हो। पुनश्च वकील प्रार्थी द्वारा कथन किया कि निर्गम की पालना हो चुकी है अतः प्रकरण बंद माना अतः परभावली किया जाता है परभावली वकील प्रार्थी दाखिल इफ्तल हो।

Not Press
Sany
8/6/18

प्रशासक आदेश
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर